पर्यावरण एवं संविधानिक विधि न्यायिक सक्रियता

✧ डॉ. नरेन्द्र उपाध्याय ★ डॉ. एम.एस. सिसौदिया

मानव जीवन का संरक्षण हमारे भौतिक एवं भौगौलिक आवरण से होता है जिसे हम साधारण शब्दों में पर्यावरण कहते हैं जिसका मतलब परि–चारों तरफ, आवरण–घेरा ढ़का हुआ अर्थात पर्यारण–चारों ओर से घेरा हुआ है। अतएव हमारे चारों तरफ जो जीवित तथा निर्जीव वस्तुए हैं वे सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। इस प्रकार पर्वत, पठार, मैदान, वन, मिट्टी, पानी, हवा, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु आदि मिलकर पर्यावरण बनाते हैं।

महान संत गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में ऐसे ही मत का प्रतिपादन पर्यावरण के बारे में इस प्रकार किया गया है– **f{kr ty ikod xxu lehjkA ip jfpr vfrv/ke lehjkAA**

अतः हमें प्रकृति के पंच तत्वों का संरक्षण करना चाहिए। अगर इन पंच तत्वों में किसी भी प्रकार से कमी आती है तो हमारा शरीर व्याधियों से घिर जाता है, किन्तु वर्तमान में मनुष्य ने विकास के लिए इन अजीव कारकों का अन्धाधुन्ध प्रयोग कर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है।

in"k.k %&प्रदूषण का अभिप्राय है कि जो वतावरण मानव एवं पेड़–पौधों के संवर्द्धन सुरक्षा एवं उपयोगिता के लिए प्रकृति ने मानव को प्रदान किया है जिसमें प्रत्येक पंचतत्व का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर हम उस निश्चित अनुपात को बिगाड़ते हैं अर्थात व्यय करते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए देश में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित हुए जो लगभग 25–30 अधिनियम से कम नहीं हैं। इतना ही नहीं विश्व स्तर पर विभिन्न संगोष्ठियों के आधार पर अन्तराष्ट्रीय समझौते हुए कि पर्यावरण प्रदूषण विश्व की मानव जाति के लिए एक भयंकर खतरा है, इसे रोकना अत्यधिक आवश्यक है ,यदि ऐसा नहीं हुआ तो मानव समाज समाप्त हो सकता है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिनियम इस प्रकार से हैं–1. वायु प्रदूषण (नियंत्रक–निकाय) अधिनियम, 1982 2. जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रक) अधिनियम, 1975 3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 5. कीटनाशी अधिनियम, 1968 6. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 7. विष अधिनियम, 1919 8. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 9. परिसंकटमय अवशिष्ट (प्रबंध और व्यवहार) अधिनियम, 1919 10. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995

उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियमों के अतिरिक्त विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के लिए चिन्तन प्लेटो के समय में 2500 वर्ष पहले हो गया था। भारत में पर्यावरण के संरक्षण की प्राचीनता का इतिहास 321 और 300 ईसा के बीच के समय में खोजा जा सका। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण भारतीय विधि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाई जाती है जिसमें यह उल्लेख किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म प्रकृति का संरक्षण और उसकी पूजा करना था। कौटिल्य ने वनों के प्रणालीबद्ध संरक्षण की परिकल्पना की थी जिसके कारण पर्यावरण का संरक्षण होकर मानव जीवन को जीने योग्य वातावरण मिल सके। इसके अतिरिक्त अनेक वेद पुराणों और स्मृतियों में उल्लेख है कि वक्षों को काटना, नालियों को गन्दा करना, पहाडों को नष्ट करना दण्डनीय कार्य माना गया है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु कायम लॉ के अन्तर्गत लॉ ऑफ टाट्स में 1893 में किस्बी बनाम देवी में प्रतिवादी द्वारा लगातार गायन विद्या सीखने के कारण वादी को परेशानी हुई क्यों कि वादी का कमरा प्रतिवादी के कमरे से एक संयुक्त दीवाल से जुड़ा होने से वादी को ध्वनि प्रदूषण हुआ व न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष मांगा जिसे न्यायालय ने मान्य किया। इसी प्रकार से सोल्टन w/s डी होल्डर (1851 1KB 323) के वाद में ध्वनि प्रदूषण को निषेध आज्ञा प्रदान की, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि वादी रोमन कैथोलिक चेपल के पास निवास करता था। कैथोलिक चर्च की घन्टी लगातार बजती रही थी जिसके कारण वादी को व्यवधान उत्पन्न हुआ व उसने माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति चाही, माननीय न्यायालय ने वादी के पत्र में निषेध आज्ञा पारित की।

इसी प्रकार से एक अन्य वाद इरेशन विरूद्ध मुरे (1961 लिमिटेड रायन 468) वाद में राजमार्ग पर व्यवध ाान उत्पन्न हो जाने पर न्यूसेंस का वाद मान्य किया गया। भारतीय दण्ड संहिता 1960 में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यापक प्रावधान है–1. लोक जलस्रोत या जलाशय को दूषित करने पर दण्ड संहिता की धारा 227 के अन्तर्गत अधियोजन चलाकर तीन माह का कारावास अथवा रूपये 500.00 का अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकना। 2. इसी प्रकार लोक न्यूसेंस पैदा करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 के अन्तर्गत दण्डनीय घोषित किया गया। 3. वायुमण्डल को दूषित कर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने पर दण्ड दिये

✧ **ik/;kid] fof/k 'kkldh; ¼Lo'kklh½ LukrdkÙkj egkfo|ky;] nfr;k**
★ **foHkkxk/;{k] Hkxky] 'kkldh; ¼Lo'kklh½ LukrdkÙkj egkfo|ky;] nfr;k**

जाने का प्रावधान है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन लोक न्यूसेंस पैदा करने पर जिला दण्डाधिकारी को अधिकर प्राप्त हैं कि वह ऐसे लोक न्यूसेंस को हटाने हेतु आदेश दे तथा विधि के प्रावधान के अनुसार लोक न्यूसेंस कर्ता को दण्डित किया जा सकेगा। भारतीय संविधान ने भारत की जनता को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित वातावरण देने का संकल्प लिया है जिसको समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रिव्यू शक्ति से सर्वोच्च अनुच्छेद 32, 326 राज्य व केन्द्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु निदेश दिये हैं।

भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं।

अनुच्छेद 19(1) (ह) – वृत्ति व्यापार व्यवसाय कारोवार करने का अधिकार। अनुच्छेद (2) – किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद (47) – लोक स्वास्थ्य को सुधार का प्रयास राज्य का प्राचीन कर्तव्य है। अनुच्छेद 51(I)(ह) – भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, रक्षा करे व उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के लिए दयाभाव रखे। अनुच्छेद 48 (I) – राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 253 – संसद के किसी अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन संसद या अन्य निकाय में पारित किये गये किसी विनिश्चय के क्रियान्वयन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है।

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्टॉक होम घोषणा 1972 के निर्णय के अनुसार वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर लागू किया गया।

अनुच्छेद14 – प्रत्याभूत समता के अधिकार का प्रयोग भी पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। यह अधिकार व्यक्ति/समाज/सरकार को मनमाना अयुक्तियुक्त कार्य को रोकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किंकरी देवी विरूद्ध. हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1988 के मामले में तथ्य यह था कि राज्य सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध ा पट्टे (चूने की खान) प्रदान किये गये। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका के माध्यम से बताया कि शिवालिक पहाड़ियों के चूने के पत्थर के अवैज्ञानिक तथा अनियंत्रित उत्खनन से पर्यावरण को क्षति पहुँची है तथा उस क्षेत्र के निवासियों को प्रदूषण का जोखिम उत्पन्न हो गया है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्राकृतिक संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाए व ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 तथा 51 (क)(छ) का उलंघन हो।

अनुच्छेद 32 एवं 226 के अन्तर्गत राज्यों को दिशा निर्देश व आदेश देने हेतु विभिन्न याचिका जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय व राज्यों के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है जबकि अनुच्छेद 32 मूलभूत अधिकार है व अनुच्छेद 226 संवैधानिक अधिकार है। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए माननीय सवोच्च न्यायलय ने संविधान के अन्तर्गत विभिन्न न्यायिक निर्णय दिये हैं जो निम्नानुसार हैं–

अनुच्छेद 19 (1)(ह) के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन है।

इस प्रकार से व्यापार आर्थिक विकास या औद्योगीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण निवारण एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है जो देश के प्राकृतिक संरक्षण के बीच का अर्न्तद्वन्द है जिसे हल करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण भमिका निभाई है। अभिलाष टैक्सटाईल्स वनाम राजकोट नगर पालिका AIR 1988 के मामले में याचीगण अपनी फैक्ट्री का गन्दा पानी सार्वजनिक सड़क पर और सार्वजनिक जल निकास की गली में छोड़ देते थे जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि कारोवार चलाने की इच्छा करते है तो उन्हें व्यय करना होगा व सार्वजनिक नाली स्थान या गन्दा पानी छोड़ने के पूर्व पानी को शुद्धीकरण संयत्रण के द्वारा साफ करना होगा। याचीगण को सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर मूल अधिकार प्रयोग करके कोई निवारण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से रतलाम नगर पालिका विरूद्ध वर्ष चन्द्र 1980 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को संरक्षण दिया जाए न कि अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत कारोवार व्यवसाय करने के मूलभूत अधिकार को क्यों कि कोई भी मूलभूत अधिकार निश्चित शर्तों के अधीन ही प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत एनीमल एण्ड इन्वायरनमेन्ट डिफेन्स फण्ड वनाम भारत संघ (AIR 1977 SC 1071) मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनजातीय ग्रामीणों की जीविकोपार्जन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में राष्ट्रीय पार्क के बीच स्थित जलाशय में मछली पकडने के लिए मत्स्य ग्रहण को परमिट प्रदान किया था जिस पर से माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारण किया कि मछली ग्रहण व पालन से पर्यावरण संतुलन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसी प्रकार से एम.सी. मेहता वनाम भारत संघ AIR 1988 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि हम उन चर्मशोधन शालाओं को बन्द करने के लिए निर्देश दे रहे हैं जो औद्योगिक वहिस्त्राव के लिए

प्राथमिक शोधन अभिक्रिया के बारे में न्यूनतम कदम उठाने में असफल रहे हैं। हम इसके लिए सचेत हैं कि चर्मशोधन शालाओं को बन्द किये जाने से बेरोजगारी और राजस्व को हानि होगी, परन्तु जीवन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी जनता के लिए महत्व अधिक बढ़ा है। उपरोक्त कारखाना अपना गन्दा पानी गंगा नदी में मिलाता था जिससे प्रदूषण होता था। इसी प्रकार से एक अन्य वाद में एम.सी. मेहता विरूद्ध भारत संघ 1996 एम.सी.सी. के लोकहित वाद में दिल्ली में भारी एवं विशाल उद्योगों के कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया था जिस पर माननीय न्यायालय ने भूमि निर्धारण किया कि दिल्ली परिक्षेत्र महायोजना 2001 के अधीन राजधानी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों को राजधानी क्षेत्र से बाहर स्थापित करे ताकि वातावरण प्रदूषित न होने पाए।

अनुच्छेद 21 प्राण का मूल अधिकार तथा स्वस्थ वातावरण का अधिकार–

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के आम व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण अर्थात जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, किन्तु दूषित वातावरण प्रदूषण द्वारा धीमा मीठा जहर देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या समाज/सरकार को नहीं है। इसी प्रकार से एक अन्य वाद टी दामोदर वनाम दि स्पेशल ऑफीसर, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन अथवा हैदराबाद AIR 1987 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकथित किया कि अनुच्छेद 21 में अन्तविष्ट मूल अधिकार तथा अप्रदूषित पर्यावरण के अधिकार के बीच सम्बन्ध के बारे में सही दृष्टिकोण था।

lkoZtfud LFky ij /kweziku ij ifrcU/k %&मुरली एस. देवरा वि. भारत संघ (AIR 2102 SC 40) याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने से प्रदूषण फैलता है व जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करते हैं, उन्हे अत्यधिक स्वास्थ्य का नुकसान होता है। माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से किसी का जीवन समाप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत विधि की प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी। यह उस व्यक्ति के जीवन को संकट में नहीं डाल सकता है। एक अन्य वाद इंटलेक्चुअल फोरम तिरूपति विरूद्ध. आन्ध्रप्रदेश (AIR 2006 SC 1350) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छे 51 A के अनुसार शहरी विकास के नाम से पर्यावरण को नष्ट नहीं किया जा सकता है।

मेनका गांधी वनाम भारत संघ AIR 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मानव को गरिमा के साथ जीने का संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत मूल अधिकार है। मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार में स्वस्थ पारिस्थितिकी तथा अप्रदूषित वातावरण भी सम्मिलित है। लॉ सोसायटी आफ इंडिया वनाम फर्टिलाइजर एवं केमिकल त्रावनकोर (AIR 1994 केरल 308) के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण को जीने के अधिकार का भाग माना है। न्यायालय का मत है कि मानव क्षेत्र एवं स्वास्थ के लिए पर्यावरण अपरिहार्य है। इण्डियन काउंसिल आफ इन्वायरो लीगल एक्सन वनाम भारत संघ AIR 1996 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रदूषण चाहे हवा का हो या जल का, मानव जाति के लिए घातक है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण निवारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारण किया कि संगठित होकर कार्य करना होगा।

श्रीराम फूड एण्ड फर्टीलाइजर प्रकरण (1986) में कम्पनी द्वारा हानिकारक पदार्थ जो खुले वातावरण में छोड़े जाते हैं, से मानव व प्रकृति को नुकसान हो रहा है जिसके लिए कम्पनी बैंक गारण्टी दे व प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करे। बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट विरूद्ध बी.एस. मुडाप्पा (AIR 1991) शासन द्वारा खुली भूमि, जो बगीचे के लिए छोड़ी गई थी, को अस्पताल के निर्माण हेतु आवंटित कर दी गई जिसके विरूद्ध जनहित याचिका लाई गई व सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु खुली भूमि बगीचा रखना आवश्यक है, अन्यथा प्रदूषण फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अस्पताल निर्माण हेतु भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान एवं विभिन्न विधियों द्वारा पर्यावरण आम नागरिकों को देने का वचन देता है व इस ओर व्यापक किया भी जा रहा है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे काफी व्यापक हैं। पशुओं के प्रति सहानुभूति, आदिवासी जनजाति, रोजगार, अविकसित क्षेत्र सम्मिलित हैं जो अपने आप में शोध पत्र का विशिष्ट क्षेत्र हैं। इस पर शोध किया जाना चाहिए कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से हमें क्या–क्या हानियाँ हो रही हैं साथ ही विकास के नाम से जंगलों की कटाई, पहाड़ों को नष्ट करना आदि कहाँ तक उचित है। न्यायिक निर्णय संविधानिक उपचार इस ओर व्यापक प्रभार डाल रहे हैं जो मानव गरिमा व प्राकृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम है, सराहनीय कार्य है।

lnHkZ xzUFk

1. डॉ. वासन्ती लाल बावेल : पर्यावरण संरक्षण एवं कानून, सुविधा ला हाउस भोपाल, 2000 2. P.D. Sharma : Ecology and Environment: Rastogi Publications, Meerut, 2001 3. डॉ. सविन्द्र सिंह : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2005 4. योजना पत्रिका, 2003 5. डॉ. जय जय दास उपाध्याय : भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद। 6. All India Reporter 7. Criminal Law Journal.